भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन
WHOLLY OWNED BY GOVT. OF INDIA
Regd.Office: Jawahar Vyapar Bhawan, 16th Floor, Janpath, New Delhi-110001

क्रमांक सीएचओ (**एचआर**)/ **प्रशासन** /16/18/2019 **दिनांक**: 30.07.2024

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। यहाँ 13 जनवरी, 2006 से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक निगमित इकाई के रूप में कार्य करना आरंभ हुआ। कंपनी की मुख्य गतिविधि/व्यवसाय प्रतिभूति कागज़ का डिजाइन और निर्माण, करेंसी नोटों, पासपोर्ट, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकटों की मुद्रण, सिक्कों का निर्माण आदि है।

कंपनी की परिचालन इकाइयां देश भर में रणनीतिक रूप से स्थित हैं, जिनमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में चार टकसाल, नासिक, देवास और हैदराबाद में चार चलार्थ पत्र/प्रतिभूति मुद्रणालय, तथा नर्मदापुरम में उच्च गुणवत्ता युक्त कागज कारख़ाना शामिल हैं ।

एसपीएमसीआईएल विभागीय **जांच करने के उद्देश्य से** 3 **वर्ष की अवधि के लिए जांच** अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु केंद्र सरकार, एसपीएमसीआईएल या अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है। ऐसे अधिकारियों को मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में पात्रता मानदंड, जांच मामले के अनुसार देय मानदेय आदि का विवरण निम्नलिखित है:

1. सूचीबद्धता की **वैधता:**

विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति के उद्देश्य से बनाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूचीबद्धता सामान्यतः तीन वर्षों के लिए वैध होगा। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय, उचित और पर्याप्त कारणों से, औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में लाए जाने वाले किसी भी सूचीबद्ध अधिकारी को बिना किसी सूचना के पैनल से हटा सकते हैं।

2. <u>पात्रता</u>:

<u>आवश्यक:</u>

- केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के मामले में उप सचिव के पद से नीचे के सेवानिवृत्त अधिकारी।
- एसपीएमसीआईएल/अन्य पीएसयू के मामले में सेवानिवृत्त प्रबंधक या उससे ऊपर (ई-3 और उससे ऊपर)।
- आवेदक को किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही मामले में दंडित नहीं किया जाना चाहिए (अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई दंड नहीं या आपराधिक मामले में कोई अभियोजन नहीं)।

<u>वांछित:</u>

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री।
- सतर्कता और/या स्थापना मामलों में पूर्व अनुभव, अधिमानतः विभागीय जांच के संचालन का प्रत्यक्ष अनुभव।

3. जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें:

नामित जांच अधिकारी को निम्नलिखित वचन देना होगा:

i. अभ्यर्थी जांच किए जाने वाले मामले में गवाह या शिकायतकर्ता नहीं है, या दोषी अधिकारी का करीबी रिश्तेदार या परिचित मित्र नहीं है। प्रत्येक जांच के संबंध में जांच कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा और रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

ii. जांच के संबंध में उसे प्राप्त दस्तावेजों या उसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी/डेटा के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी तथा उसका उपयोग केवल उसे सौंपे गए मामले में जांच के उद्देश्य के लिए ही करना होगा।

4. जांच के दौरान या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ऐसे कोई भी दस्तावेज/सूचना या डेटा किसी को नहीं बताए जाएंगे। जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट आदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को विधिवत वापस कर दिए जाएंगे।

5. जांच अधिकारी को अभिलेखों की उपलब्धता, स्टेशन/स्थान जहां कदाचार हुआ था, तथा गवाहों/पीओ आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जांच कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। आईओ/पीओ/सीओ द्वारा की जाने वाली यात्रा को कम से कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यथासंभव अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।

6. जांच अधिकारी संबंधित इकाई द्वारा नामित प्राधिकारी के अनुमोदन से (अपरिहार्य परिस्थितियों में) जांच करने के लिए यात्रा करेगा।

7. जांच अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर जांच पूरी करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 180 दिनों से अधिक समय का विस्तार केवल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से दिया जा सकता है।

8. **<u>मानदेय:</u>** जांच अधिकारी को देय मानदेय एवं अन्य भत्ते की दरें निम्नानुसार होंगी:-

मद	वर्ग	जांच कार्यवाही पूरी होने में लगा समय	प्रति मामला दर (रु . में)	
			केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए	एसपीएमसीआईएल /अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए
मानदेय	'I'	जहां गवाहों की संख्या 10 से अधिक हो	मासिक रूप से अर्जित मूल पेंशन का 90%	अंतिम (मूल) वेतन का 40%
	'II'	जहां गवाहों की संख्या 6-10 के बीच हो	मासिक रूप से अर्जित मूल पेंशन का 70%	अंतिम (मूल) वेतन का 30%
	'III'	जहां गवाहों की संख्या 6 से कम हो	मासिक रूप से अर्जित मूल पेंशन का 60%	अंतिम (मूल) वेतन का 25%
परिवहन भत्ता		रु.40,000/- प्रति मामला इस शर्त के अधीन कि बाहरी यात्रा के लिए, हवाई/रेलवे यात्रा के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हवाई/रेलवे से यात्रा करना भी अधिकारी को सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त होने वाले वर्ग के किराए के अनुसार अनुमेय/प्रतिबंधित होगा (इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन और समय-समय पर डीओपीटी /डीओई द्वारा हवाई यात्रा के लिए अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से हवाई		

		टिकट की बुकिंग और सबसे सस्ता उपलब्ध किराया के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में)।	
सचिवीय सहायता	'I'	जहां गवाहों की संख्या 10 से अधिक हो	रु.40,000/-
	'II'	जहां गवाहों की संख्या 6-10 के बीच हो	रु.30,000/-
	'III'	जहां गवाहों की संख्या 6 से कम हो	रु.20,000/-

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 50% का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि न्यायालयों आदि द्वारा रोक के कारण मामले को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, तो जांच अधिकारी को उसके कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है और मानदेय और अन्य भत्तों का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

9. जांच अधिकारी को भुगतान प्राप्त होने से पहले यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी कि:

क) सभी मामले और जांच रिपोर्ट (दो स्याही हस्ताक्षरित प्रतियां) उचित रूप से दस्तावेजित और व्यवस्थित करके कार्यालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंप दी जायें।

ख) रिपोर्ट में आरोपों के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष दिया गया है, जिसकी जांच की गई है, तथा इसमें आरोपित अधिकारियों द्वारा वर्तमान नियमों और अनुदेशों के अनुसार उठाई गई प्रत्येक प्रक्रियागत आपत्ति, यदि कोई हो, का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

ग) जांच रिपोर्ट में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि विभागीय जांच करने के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन संबंधित नियमों/आचरण और अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार किया गया है, जिनके अंतर्गत दोषी अधिकारी आते हैं।

घ) किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में पत्र केवल संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से ही जारी किया जाएगा।

ङ) **एक जांच अधिकारी को सौंपे जाने वाले अनुशासनात्मक मामलों की संख्या एक वर्ष में** 8 **मामलों तक सीमित की जा सकती है, तथा एक समय में अधिकतम** 4 **मामले ही सौंपे जा सकते हैं।**

<u>मिश्रित:</u>

i. जांच अधिकारी स्वयं को किसी अन्य व्यावसायिक कार्य या सेवा में संलग्न नहीं करेगा, जो जांच अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निष्पादन के साथ टकराव में हो।

ii. एसपीएमसीआईएल बिना कोई कारण बताए सेवानिवृत्त अधिकारियों के किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एसपीएमसीआईएल बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए पैनल में शामिल करने की शर्तों और नियमों को बदलने/संशोधित करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

<u>आवेदन कैसे करें</u> :

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, प्रासंगिक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एसपीएमसीआईएल, प्रथम तल , जवाहर व्यापार भवन जनपथ , नई दिल्ली - 110001 को **<u>23/08/2024</u>** तक या उससे पहले भेजना होगा ।

विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन

1. **पूरा नाम** : ……..

2. **पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय)**: ……..

3. **संगठन का नाम जहां अंतिम बार कार्य किया गया**:
   …….

4. **जन्म की तारीख**:
   ……**।**

5. **वर्तमान डाक पता**: …….

6. **स्थायी पता**: ……..

7. **मोबाइल** नंबर: ……**।**

8. **वैकल्पिक मोबाइल/लैंडलाइन नंबर**: ……

9. **ई-मेल**: ……..

10. **शैक्षणिक योग्यता***

विशिष्ट योग्यता, यदि कोई हो।	**विश्वविद्यालय / संस्थान**	**अनुशासन**	**टिप्पणी**

*** कृपया स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें**

11. **सतर्कता और/या स्थापना मामलों में पिछले व्यावसायिक अनुभव का विवरण**:

क्रम सं.	धारित पद/पदनाम	कार्य/अनुभव की प्रकृति	अवधि (वर्ष)	टिप्पणी

12. **क्या आपने कभी जांच अधिकारी के रूप में काम किया है?**
(यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा):
.....

13. **अंतिम वेतन आहरित (मूल वेतन और ग्रेड सहित) :**
.....

14. **सेवानिवृत्ति संदर्भ (कृपया पीपीओ की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)/सेवा प्रमाणपत्र/अंतिम वेतन पर्ची:**

15. **क्या आवेदक के विरुद्ध कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित है या उसके परिणामस्वरूप कभी उस पर जुर्माना लगाया गया है।**

यदि हां, तो उसका ब्यौरा:

<u>उपक्रम</u>

1. **मैं, _____, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। किसी भी स्तर पर गलत पाई गई किसी भी जानकारी के लिए, मैं जांच अधिकारी के रूप में अपनी पूर्वोक्त नियुक्ति को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होऊंगा।**

2. **मैं जांच के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों या मेरे द्वारा एकत्रित की गई जानकारी/डेटा की सख्त गोपनीयता और सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करूंगा और उन्हें केवल मुझे सौंपे गए मामले में जांच के उद्देश्य से ही उपयोग करूंगा। जांच के दौरान या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ऐसे कोई भी दस्तावेज/सूचना या**

डेटा किसी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं बताए जाएंगे। जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट आदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय मुझे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को विधिवत वापस कर दिए जाएंगे।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

तिथि: .....।

स्थान: .....